भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

दस हजार रुपये

RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

OFFICE

16 MAY 2011

CHIEF TREASURY OFFICER

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 169880

(25)

की धनराशि को मय हर्जे खर्चे प्रथम पक्ष विक्रेता व विक्रेता वारिसान की चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वसूल करा सकते है जिस पर प्रथम पक्ष/विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

Signatory

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

OFFICE OF THE TREASURY GHAZIABAD

16 MAY 2011

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 232960

9. अतः अब विक्रय पश्चात् विक्रीत भूमि की मिलकियत भूमि में निहित हित व उसके मूल्य धन तथा किसी अंश से विक्रेता व वारिसान विक्रेता का, अब कोई संबंध बाकी नही रहा और न कभी रहेगा।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

OFFICE OF THE TREASURY GHAZIABAD

16 MAY 2011

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

CHIEF TREASURY OFFICER

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH S 232959

10- विक्रय पत्र का समस्त खर्चा क्रेता ने वहन किया है।

Signatory

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

GHAZIABAD

16 MAY 2011

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 232958

11. अतः यह विक्रय पत्र खूब सोच समझ कर, सुनकर पढ़ कर गवाहों की उपस्थिति में लिख दिया गया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

OFFICE OF THE TREASURY
GHAZIABAD
16 MAY 2011
CHIEF TREASURY OFFICER

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 232957

12. विक्रेता ने विक्रीत भूमि रकबई 0.3390 हैक्टेयर, खाता संख्या 00470 के खसरा संख्या 2269 स्थित ग्राम शाहपुर बम्हैटा, परगना डासना, तहसील व जिला गाजियाबाद के निमित्त निम्न विवरण के अनुसार विक्रय धनराशि प्राप्त कर ली है।